कार्यालय नगर परिषद् देपालपुर जिला इन्दौर म.प्र.

E-Mail: cmodepalpur@mpurban.gov.in

क्रमांक/15189/स्था, शाखा / 2024 — दिनांक 26.07.2024

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7272 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19/2019 / आठ प्र. दिनांक नगरीय विकास एवं विभाग के क्रमांक एफ 16-2/1/2/2025 / 38-1 दिनांक 16.02.2024 मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक स्था / एक / 201 पत्रिका / 2024 / 5060 भोपाल दिनांक 20.02.2024 तथा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय जबलपुर भवन के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2018 / आठ प्र. / एक भोपाल दिनांक 24.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गए दिशानिर्देश नियमित भर्ती अभियान के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिये संचालित पदों को रोस्टर-इन-इण्डस्ट्री के माध्यम से भरे जाने हेतु इस विज्ञापन योजना एवं आवेदन सम्बन्धी समस्त अभ्यर्थी बंधुओं को सूचना एवं निर्देशन पालन में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 12.08.2024 को सायं समय 06:00 बजे तक आवेदन दिनांक की निर्धारित समय तक ही आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। पात्रता के सम्बन्ध में विचार से उक्त आवेदन पत्र के लिये दिया गया / आमंत्रित कराया जाने होगा। दिव्यांगजनों हेतु आवेदन पत्र पदों का विवरण नियमानुसार पदों का / 24-इन्डस्ट्री की निम्न विवरण पदों की जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों का विवरण					विभागीय योग्यता	रोस्टर-इन-इण्डस्ट्री हेतु निर्धारित बिंदु
				दृष्टिहीन एवं कम दृष्टि	बधिर और कम सुनने वाला	स्वप्रभावी एवं मस्तिष्कीय व. दे. सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त ऐसिड अटैक पीड़िता मल्टीपल डिसएबिलिटी	अस्थिदृढ़ दिव्यांगता मांसपेशिक दोष दिव्यांगजनों और मानसिक बीमारी और बहु दिव्यांगता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	नियमित									
1	सफाई मजदूर	चतुर्थ श्रेणी	15500-49200 Level - 1	01	-	-	-	5 वर्ष उत्तीर्ण	पदों की योग्यता का रोस्टर-इन-इण्डस्ट्री की विभिन्न पदों की मूलतः एवं से ही भरे जाने होंगे	

मुख्य शर्तें —

01. आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
02. समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
03. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38-16/13 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष आरक्षित वर्ग जाति, जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग शारीरिक विकलांग, माजी सैनिक, पूर्व सैनिक, अनाथ, अविवाहित, आश्रित। आदि के लिए 10 से 15 अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट है।
04. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-8-2016-3 एफ भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16-1-3 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2019 अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवास कार्यालय से जारी डोमिसाईल होना अनिवार्य है।
05. आवेदक को रोस्टर-इन-इण्डस्ट्री / सामान्यतः के समस्त सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
06. दिव्यांगजन के दिव्यांग प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01-10-2021 से समाप्त की गई है। अतः उक्त तिथि के पश्चात जारी मेडिकल दिव्यांग प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
07. दिव्यांगजन जारी मूल दिव्यांग प्रमाण-पत्र / जाति प्रमाण पत्र तथा मेडिकल अभ्यर्थी द्वारा जारी किया जो मान्य होगा।
08. रोस्टर-इन-इण्डस्ट्री के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का पत्र भेजा नहीं होगा।
09. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. भरे गये मेरिटोरियस जानकारी पदों की भर्ती अन्य-कर्मचारी समय से निकाल से प्रारम्भ की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु / पूर्ण न होने के लिए 21 वर्ष या 4 महीना कम के लिए 18 वर्ष। के पूर्व हो गया हो उसे कुछ पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदन पत्र के लिए निर्धारित समस्त अर्हता और शर्तों को आवेदन पत्र भरते समय की अर्हता तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा आवेदन प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है या अपूर्ण है, तो उसके आधार पर आवेदक का पत्र निरस्त किये जाने हेतु समस्त आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. संभागी / प्रोबेशनर के पदों पर आवेदक मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं 2008 अनुसार नियुक्त होंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.01.2013 के अनुसार कार्यरत अभ्यर्थी के अन्तर्गत हुए दिव्यांगजन की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से निर्धारित पात्रता जानकारियों / योग्यता, भाषा एवं लेख / परिक्षा की पदों भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है या 15.00 बजे समय में नहीं है या निरस्त कर दिये जायेंगे। आवेदक द्वारा भूतपूर्व सैनिक है या ऐसे अभिलेख / दस्तावेज नहीं मिले तो वे अस्वीकार किये गये माने जायेंगे। समय की पत्र भेजा दिये गए हो, जिससे ऐसे शारीरिक परीक्षा / दिव्यांग या हो, जो समय के लिए आवश्यक हो, के ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जायेंगे।
17. दिव्यांग पदों के लिए आवेदन पत्र के विरुद्ध मेडिकल बोर्ड अभ्यर्थी का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया यह सुनिश्चित होने पर, स्थानीय ही किसी अस्पताल में स्थानांतरित है यह जिला में उपलब्ध बोर्ड द्वारा पारित जिला स्तर के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध पात्रता नहीं पाये जाने अभ्यर्थियों के अभाव की स्थिति में 12 प्रतिशत का अधिकतम पात्र होने पर ही कमजोर 40% अन्य जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 02 से अधिक संतान सम्भावित है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है वे नियुक्ति अभ्यर्थी निर्धारित नहीं पात्र नहीं होंगे, लेकिन यदि एक सन्तान दिव्यांग है और बाद में एक या दो या अधिक सन्तानें जन्म लेती है तो वह अभ्यर्थी पात्र माने जायेंगे।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2010 / 3 एफ भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2010 के अनुसार संभागी भर्ती के अन्तर्गत पद चयन श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियमित तथा परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को फार्म नम्बर 72 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत वेतन स्थायीकरण के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित 4 संकेतों के पदों पर भर्ती सम्बन्धी कार्य नहीं मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग / अधीनस्थ सेवा भर्ती / सेवा नियम 2011 में निर्धारित प्रावधानानुसार की जायेगी।
22. नियुक्ति से सम्बन्धित सभी अधिकार निर्धारित प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

(बहादुरसिंह रघुवंशी)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद देपालपुर म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner